

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड  
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

सत्र प्रकरण क्रमांक: 79/2016

संस्थित दिनांक-17/02/2016

फाइलिंग नंबर-23030301001212016

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र मौ, जिला-भिण्ड (म0प्र0)

-----अभियोजन

वि रू द्ध

राजवीर मिर्धा पुत्र वृन्दावन मिर्धा, 36 साल  
निवासी ग्राम छरेंटा थाना मौ जिला भिण्ड

.....अभियुक्त

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक  
अभियुक्त द्वारा श्री बृजराज सिंह गुर्जर अधिवक्ता ।

### **-:- निर्णय -:-**

(आज दिनांक, 17/03/2017 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अभियुक्त राजवीर के विरुद्ध धारा 354 ए भा0द0वि0 के तहत यह आरोप है कि उसने दिनांक 03/10/2015 के दिन के करीब 11 बजे वृन्दावन मिर्धा के खेत की मेड मौजा छरेंटा के सार्वजनिक रास्ते में फरियादी श्रीमती पुनीता बंजारा जोकि एक स्त्री है, उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उक्त स्त्री का हाथ पकड़कर हमला कर आपराधिक बल का प्रयोग किया।
2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य है कि अभियुक्त एवं अभियोजनी एक ही गांव के रहने वाले हैं एवं ग्राम बंजारे का पुरा व ग्राम छरेंटा पास पास में लगे हुए हैं ।
3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि दि0-03/10/2015 को दोपहर करीब 11 बजे वृन्दावन मिर्धा के खेत की मेड मौजा छिरेंटा में, फरियादी पुनीता बंजारा अपने घर पर जा रही थी, कि ग्राम छिरेंटा का राजवीर मिर्धा जो पशु चरा रहा था, उसे फरियादी का हाथ बुरी नियत से पकड़ कर खेत में खींचने लगा, फरियादी ने विरोध किया तो अभियुक्त बोला कि पैसा लेकर काम करवा लो और फरियादी की छाती दवा दी, फरियादी चिल्लाई तो भूरा बंजारा आ गया जिसे देखकर राजवीर हाथ छोड़कर भाग गया, फिर घर जाकर फरियादी ने अपने माता पिता को पूरी बात बायी, उसके बाद अपने पिता के साथ थाना मौ आकर अभियुक्त राजवीर के विरुद्ध रिपोर्ट लिखायी।

4. उक्त आशय की रिपोर्ट प्रदर्श पी.-01 थाना मौ में अभियुक्त के विरुद्ध अप.क्र.-226/2015 धारा-354 भा0द0वि0 का पंजीबद्ध किया गया है। विवेचना के दौरान नक्शामौका प्रदर्श पी.-2 बनाया गया, अभियुक्त को प्र.पी.-5 मुताबिक गिरफ्तार किया गया। फरियादी श्रीमती पुनीता व साक्षी रंधौर, भूरा एवं शीलाबाई के कथन लेखबद्ध किए गये, फरियादी पुनीता के धारा-164 द.प्र.सं0 के तहत कथन प्रदर्श पी.-4 लेखबद्ध किए गये। न्यायालयीन कथनों में उसके साथ छेड़छाड़ सार्वजनिक स्थल पर करने का उल्लेख होने से अभियुक्त के विरुद्ध भा.दं.वि0 की धारा-354 ए का इजाफा किया गया और तत्पश्चात् सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र जे.एम.एफ.सी. गोहद न्यायालय में पेश किया गया। जहां से प्रकरण उपार्पित किए जाने पर मा0 सत्र खण्ड भिण्ड से अंतरित होकर विचारण हेतु प्राप्त हुआ।

5. अभियोगपत्र एवं सलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 354 ए भा0द0वि0 के तहत आरोप लगाये जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया। धारा 313 जा0 फौ0 के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में झूठा फंसाए जाने का आधार लिया है।

6. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

अ- क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 03/10/2015 के दिन के करीब 11 बजे वृन्दावन मिर्धा के खेत की मेड मौजा छरेटा के सार्वजनिक रास्ते में फरियादी श्रीमती पुनीता बंजारा जोकि एक स्त्री है, उसकी लज्जाभंग करने के आशय से उक्त स्त्री का हाथ पकड़कर हमला कर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

**—::—निष्कर्ष के आधार :—**

**विचारणीय प्रश्न क्रमांक— अ का निराकरण**

7. परीक्षित साक्षियों में से सर्वाधिक महत्व की साक्षी अभियोक्त्री श्रीमती पुनीता बंजारा अ.सा.-01 जिसने अपनी अभिसाक्ष्य में अभियुक्त को पहचानने से इंकार करते हुए यह कहा है कि वह अपने पिता के घर ग्राम बंजारे के पुरा में रह रही थी और अपने छोटे भाई दिलसुख का स्वास्थ्य खराब होने से इलाज कराने के लिए उसे ग्राम झांकरी में चिकित्सक के पास गयी थी और इलाज कराकर जब वह अपने घर वापिस लौट रही थी तो रास्ते में 15-16 वर्षीय एक लडके ने उसे गालियां दी थी, गालियां देने से मना करने पर उसने उसे चांटा मार दिया था और भाग गया था, यह बात उसने घर आकर अपने माता पिता को बतायी और पिता के साथ थाना जाकर रिपोर्ट की थी। तब पुलिसवालों ने तीन चार कागजों पर उसके हस्ताक्षर लिखापढी करके करा लिये थे, उसके साथ और कुछ नहीं हुआ था। उसने केवल चांटा मारने के संबंध में रिपोर्ट की थी। इस तरह से उक्त साक्षी के कथानक का समर्थन नहीं करती है जिसे

अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर पूछे गये सूचक प्रश्नों में भी उसने इस बात से स्पष्ट रूप से इंकार किया है कि वह अभियुक्त राजवीर को जानती पहचानती है, जो उसके पास के गांव का है और उसके पिता का नाम वृन्दावन है, उसने इस बात से इंकार किया है कि अभियुक्त राजवीर के द्वारा उसके साथ भाई दिलसुख का इलाज कराकर लौटते समय वृन्दावन के खेत की मेड़ पर पशु चराते समय उसका बुरी नीयत से हाथ पकड़कर अपने खेत तरफ खींचा था, विरोध करने पर अभियुक्त राजवीर ने पैसा लेकर काम कराने की बात कही थी और बुरी नीयत से उसकी छाती दवायी थी। इस बात से इंकार किया है कि वह वह चिल्लायी तो उसका चाचा भूरा बंजारा आ गया जिसे देखकर अभियुक्त राजवीर उसका हाथ छोड़कर भागा था और इसी घटना की उसने थाने पर जाकर प्र.पी.-1 की रिपोर्ट लिखायी थी।

8. अभियोक्त्री अ.सा.-1 के द्वारा प्र.पी.-2 के नक्शामौका पर हस्ताक्षर करना स्वीकार किया है, किन्तु प्र.पी.-3 के पुलिस कथन का ए से ए भाग लिखाने से उसने इंकार किया है। उक्त साक्षिया ने जे.एम.एफ.सी. गोहद के न्यायालय में भी मजिस्ट्रेट के समक्ष कथन देने की तो स्वीकारोक्ति की है, किन्तु वह इस बात से इंकार करती है कि मजिस्ट्रेट को दिये कथन में अभियुक्त राजवीर को पहचान करते हुए बताया था कि रास्ते में अभियुक्त राजवीर द्वारा उसके साथ बुरी नीयत से हाथ पकड़कर अपनी कोठरी तरफ ले जाने का प्रयास करते हुए छेड़खानी की थी। साक्षिया मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये गये प्र. पी.-4 के कथन का भी वृत्तांत लिखाने से इंकार करती है, प्र.पी.-4 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर अवश्य स्वीकार करती है और यह बताती है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष जब उसका बयान हुआ था, तब उसका पिता साथ में आया था, पुलिस भी आयी थी। मजिस्ट्रेट कोई मैडम थी जिनने उससे पूछ-पूछकर बयान लिखवाया था उसके बाद उसके बयान पर हस्ताक्षर कराये थे और पिता के साथ घर जाने दिया था। विचारण के दौरान भी वह पिता के साथ आने की बात बतायी है। अभियुक्त राजवीर से समझौता हो जाने से उसने अवश्य इंकार किया है और अंत में यह बताया है कि पुलिस ने उसे रिपोर्ट पढ़कर नहीं सुनायी थी और ना ही रिपोर्ट की नकल दी थी। पुलिस ने जहां जहां हस्ताक्षर करने को कहा था उसने कर दिये थे। क्योंकि उसका पिता साथ में था। मजिस्ट्रेट में जो बयान दिया था वह भी पढ़कर नहीं सुनाया था, उसपर भी कहने पर हस्ताक्षर किए थे, और वह केवल हस्ताक्षर करना जानती है, पढ़ी लिखी नहीं है, उसे गांव में पार्टीबंदी की जानकारी नहीं है, क्योंकि वह अपने ससुराल दिलीपसिंह के पुरा में रहती है, जो थाना गोहद चौराहा अंतर्गत है।

9. इस प्रकार से अभियोक्त्री अ.सा.-1 द्वारा जो न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिया गया है, उसमें उसके द्वारा प्र.पी.-1 की एफ आई

आर, प्र.पी.-4 के मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये गये कथन में लज्जा भंग करने संबंधी जो तथ्य उल्लेखित हैं, उनका कोई समर्थन उसने नहीं किया है। तथा अभियुक्त राजवीर को पहचानने से भी इंकार किया, इस प्रकार से उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से विरचित आरोप खण्डित होता है। केवल इतना ही प्रमाणित होता है कि अभियोक्त्री एक विवाहित स्त्री है, जिसका मायका बंजारे के पुरा में और ससुराल दिलीपसिंह के पुरा में है, दोनों के थाना क्षेत्र अलग अलग हैं।

10. कथानक में अभियोक्त्री के चिल्लाने पर उसके चाचा भूरा के भी मौके पर आने व अभियुक्त को भागते हुए देखने का घटनाक्रम बताया गया है, भूरा अ.सा.-3 के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने भी अपने अभिसाक्ष्य में अ.सा.-1 की तरह ही यह बताया है कि अभियोक्त्री उसकी भतीजी है और करीब एक साल पूर्व वह भतीजे दिलसुख का इलाज कराने झांकरी गयी थी और वापिस लौट रही थी तब रास्ते में 15-16 वर्षीय एक लड़के ने उसकी भतीजी अभियोक्त्री को गालियां दी थी, मना करने पर उस लड़के ने अभियोक्त्री को चांटा मार दिया था और भाग गया था, इसके अलावा कुछ भी देखने सुनने से इंकार करता है, उसे भी अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित करते हुए प्रतिपरीक्षा की भांति सूचक प्रश्न पूछे गये, किन्तु उसने भी प्र.पी.-1 में बतायी गयी घटना से इंकार कर दिया है और प्र.पी.-7 का ए से ए भाग का पुलिस को कथन देने से भी वह इंकार करता है। प्र.पी.-7 के ए से ए भाग में अभियुक्त के द्वारा रास्ते से जाते समय वृन्दावन के खेत के पास अभियोक्त्री को पकड़ लेने और चिल्लाने पर पास में ही खेत में उसके तिली काटने के कारण आवाज सुनकर मौके पर पहुंचने पर अभियुक्त राजवीर को भागते हुए देखना बताया था, जिससे वह साफ तौर पर इंकार करता है। अभियुक्त राजवीर की उसके सामने प्र.पी.-5 मुताबिक गिरफ्तारी होने से भी वह इंकार करता है और यह भी कहता है कि अभियोक्त्री ने चांटा मारने वाले लड़के का नाम नहीं बताया था।

11. इस प्रकार से अभियोक्त्री अ.सा.-1 और उसके चाचा भूरा अ.सा.-3 के द्वारा जो न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिया गया है, उसमें कोई भी तथ्य विचाराधीन अभियुक्त के विरुद्ध नहीं आये हैं। जो कथानक भी किसी प्रकार की पुष्टि में सहायक होते हैं। रंधौर अ.सा.-2 जोकि अभियुक्त राजवीर का पड़ौसी गांव का है और अभियोक्त्री का पिता है, उसने केवल इतना बताया है कि करीब एक साल पहले उसकी पुत्री पुनीता छोटे पुत्र दिलसुख का इलाज कराने के लिए डाक्टर के पास झांकरी गयी थी और लोटकर आ रही थी तब रास्ते में उसके साथ 15-16 वर्षीय एक लड़के ने गालियां देकर चांटा मारने की घटना की थी जो अभियोक्त्री ने घर आकर उसे बतायी थी फिर वह उसे लेकर थाना रिपोर्ट को गया था, उसने भी छेड़खानी की घटना अभियुक्त द्वारा उसकी पुत्री अभियोक्त्री के साथ कारित



किए जाने से इंकार कर पक्ष विरोधी रहते हुए प्र.पी.-6 का पुलिस को कथन देने से इंकार किया है तथा अ.सा.-3 की तरफ प्र.पी.-5 के गिरफ्तारी पत्रक मुताबिक उसके साथ अभियुक्त राजवीर की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा किए जाने से इंकार किया है। इसी प्रकार का अभिसाक्ष्य अभियोक्त्री की चाची और साक्षी रंधौर की पत्नी शीलाबाई अ.सा.-4 का भी है और उसने भी पुलिस को प्र.पी.-8 का कथन देने से इंकार किया है। उसे भी अभियोजन द्वारा अ.सा.-1 लगायत अ.सा.-3 की तरफ पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षा की भांति सूचक प्रश्न पूछने पर अभियुक्त के विरुद्ध कोई भी अभिसाक्ष्य देने से इंकार किया है।

12. इस प्रकार से प्रकरण के कथानक मुताबिक अ.सा.-1 लगायत अ.सा.-4 महत्वपूर्ण साक्षी थे, जिनमें से किसी ने भी विरचित आरोप के प्रमाण के संदर्भ में अभियोजन को समर्थनकारी कोई भी अभिसाक्ष्य नहीं दिया है, बल्कि भिन्न प्रकार की घटना बतायी है। न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कोई घटना बतायी है, उसका कोई विचारण नहीं है, ना ही अनुसंधान हुआ है, ऐसी स्थिति में उक्त चारों साक्षियों के अभिसाक्ष्य से विरचित आरोप पूर्ण रूपेण संदेह की परिधि में आ जाते हैं। जिससे अभियोक्त्री के साथ अभियुक्त द्वारा बल प्रयोग करते हुए लज्जा भंग करने की कोई घटना घटित किए जाने की कतई पुष्टि नहीं होती है।

13. अभियोजन की ओर से जो शेष साक्षी परीक्षित कराये गये हैं, उसमें प्र.आर. सुल्तानसिंह अ.सा.-5 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में अभियोक्त्री की मौखिक रिपोर्ट पर से प्र.पी.-1 की एफ आई आर लेखबद्ध करना बताया है, जिससे स्वयं अभियोक्त्री भी इंकार करती है। और अ.सा.-02 लगायत अ.सा.-4 भी इंकार करते हैं, उनकी इंकारी को लेकर कोई अन्यथा इस प्रकार की साक्ष्य नहीं है, जिससे कोई अन्यथा निष्कर्ष निकाला जा सके, इसलिये प्र.पी.-1 की एफ आई आर अ.सा.-5 के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित नहीं होती है। क्योंकि अ.सा.-5 ने प्र.पी.-5 की एफ आई आर लिखने के बाद अभियोक्त्री को पढ़कर सुनाये समझाये जाने, एफ आई आर की प्रति उसे अविलंब निशुल्क प्रदान किए जाने की भी साक्ष्य नहीं दी है।

14. घटना का अनुसंधान अन्य प्र.आर. रामसेवक अ.सा.-6 द्वारा किया जाना बताया गया जिसने अपने अभिसाक्ष्य में दि0-03/10/2015 को चौकी झांकरी पर पदस्थ रहते हुए थाने के अपराध क्र0-226/2015 की विवेचना प्राप्त होने पर घटनास्थल पर जाकर अभियोक्त्री पुनीता की निशादेही पर प्र.पी.-2 का नक्शामौका तैयार करना बताया है। नक्शामौका मुताबिक घटनास्थल वृन्दावन नामक व्यक्ति के खेत की मेड का ग्राम छरेटा का बताया गया है, आसपास मुकेश, महेन्द्र गुर्जर व सुरेन्द्र राठौर के खेत बताये हैं किन्तु वृन्दावन, महेन्द्र, मुकेश, सुरेन्द्र में से कोई भी साक्षी नहीं बनाया है,

जो इस बिन्दु की भी पुष्टि करता है कि वृन्दावन के खेत के आसपास अभियुक्त राजवीर को देखा गया या राजवीर वहां पर पशु चरा रहा था। उक्त विवेचक ने नक्शामौका की कार्यवाही के अलावा प्र.पी.-5 अभियुक्त की गिरफ्तारी करना बतायी है, हालांकि गिरफ्तारी के पंच साक्षियों ने गिरफ्तारी का भी समर्थन नहीं किया है। किन्तु गिरफ्तारी को चुनौती नहीं दी गयी है, इसलिये उक्त विवेचक के अभिसाक्ष्य से गिरफ्तारी को प्रमाणित मान भी लिया जाये, तब भी मूल घटना उससे प्रमाणित नहीं होगी, क्योंकि जिन साक्षियों के कथनों के आधार पर अभियुक्त को अभियोजित किया गया, उसका किसी भी साक्षी ने समर्थन नहीं किया है, स्वयं अभियोक्त्री अ.सा.-1 ने ही समर्थन नहीं किया, न ही मौके पर पहुंचने वाले साक्षी भूरा, उसकी पत्नी शीलाबाई, अभियोक्त्री के पिता रंधौर में से किसी ने कोई समर्थन किया है, इसलिये विवेचक के अभिसाक्ष्य से कोई भी तथ्य प्रमाणित नहीं हो सकता है, जो आरोप को सिद्ध करने में सहायक हो। ऐसे में अ.सा.-6 का अभिसाक्ष्य औपचारिक स्वरूप का ही है।

15. अभिलेख पर इस प्रकार से जो अभियोजन की साक्ष्य प्रस्तुत हुई है। उसमें अभियुक्त राजवीर के विरुद्ध कोई भी ऐसे तथ्य स्थापित नहीं हुए हैं, जो यह प्रमाणित करते हों कि उसके द्वारा ही दि0-03/10/2015 को दिन के करीब 11 बजे वृन्दावन मिर्धा के खेत ग्राम छरेंटा स्थित की मेड के पास सार्वजनिक रास्ते के पास अभियोक्त्री को बलप्रयोग करते हुए उसे हाथ पकड़कर खेत या कोठरी तरफ उसकी लज्जा भंग करने के आशय से खींचा गया और उसकी छाती दबाकर उसकी लज्जा भंग कारित की गयी।
16. परिणाम स्वरूप अभियुक्त संदेह का लाभ प्राप्त करने का वैधानिक रूप से पात्र है। अतः उसे संदेह का लाभ देते हुए धारा-354 ए भादवि0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
17. प्रकरण की अभियोक्त्री अ.सा.-1 के संबंध में अभिलेख पर उसकी जो साक्ष्य आयी है जिसमें उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये गये प्र.पी.-4 के कथन से इंकारी की है, जबकि प्र.पी.-4 के कथन के संबंध में वह मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होना, मजिस्ट्रेट द्वारा उसका पूछताछ करके कथन लेखबद्ध करना, उसके बाद कथन पर हस्ताक्षर करना, पिता का साथ में होना, कथन उपरांत पिता के साथ घर वापिस जाना कथन की कंडिका-4 में स्वीकार किया है। जिससे यह प्रमाणित होता है कि अभियोक्त्री के द्वारा या तो धारा-164 द.प्र.सं. के तहत शपथ पर दिये गये प्र.पी.-4 के कथन में असत्य बोली है, अथवा अ.सा.-1 के रूप में शपथ पर दिये गये अभिसाक्ष्य में असत्य बोली है, दोनों ही स्थिति में उसके द्वारा शपथ पर मिथ्या साक्ष्य का दिया जाना पाया जाता है और शपथ पर मिथ्या साक्ष्य के संबंध में विधिक कार्यवाही अपेक्षित है। प्रकरण की

परिस्थितियों को देखते हुए अभियोक्त्री अ.सा.-1 के विरुद्ध मिथ्या साक्ष्य देने के संबंध में धारा-344 द0प्र0सं0 1973 के अंतर्गत विधिक कार्यवाही अपेक्षित हो जाती है। अतः उसके विरुद्ध पृथक् से धारा-344 द0प्र0सं0 के तहत अपराध का संज्ञान लिये जाने व विधिक कार्यवाही किए जाने हेतु विविध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जावे। ताकि विधिक प्रक्रिया का कोई भी दुरुपयोग करने से प्रतिबंधित हो सके और समाज में उसका उचित संदेश भी पहुंचे और स्वच्छ न्यायिक प्रक्रिया से कोई खिलवाड न हो।

18. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
19. प्रकरण में निराकरण के लिए कोई संपत्ति जब्त नहीं है।
20. निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजी जाये।

दिनांक: 17 मार्च 2017

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया।  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड